जगवीर सिंह एवं अन्य

बनाम

राज्य (दिल्ली प्रशासन)

5 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, न्यायधीशगण]

पूर्व प्रथा और प्रक्रियाः

दोषसिद्धि के संबंध में रियायत-उच्च न्यायालय का निर्णय यह उल्लेख करते हुए कि अभियुक्त के वकील ने निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि केवल सजा पर अदालत को संबोधित किया-हालाँकि, सजा असंगत नहीं पाई गई- अभिवाक कि अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। निर्धारित- एकमात्र रास्ता खुला था कि उच्च न्यायालय का रुख किया जाए- उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत बहस करने के लिए अवसर नहीं है-मामले में हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया गया-हालाँकि, यदि उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रस्ताव दिया जाता है, तो उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

अपीलार्थियों को निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 342,365 और 330 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए, उच्च

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के वकील ने दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाया और केवल सजा की मात्रा पर न्यायालय को संबोधित किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सजा को असंगत नहीं माना।

अभियुक्त द्वारा दायर इस अपील में, यह तर्क दिया गया कि कुछ भ्रम प्रतीत होता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा कभी निर्देश नहीं दिया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

अगर वास्तव में कोई निर्देश नहीं था, अपीलार्थियों के लिए एकमात्र रास्ता उच्च न्यायालय का रुख करना था। रिकॉर्ड को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो मामला अनिवार्य रूप से वहीं समाप्त हो जाता है। अपीलार्थियों के लिए इस न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत बहस करने के लिए अवसर खुला नहीं है। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है कि ऐसा कोई निर्देश नही दिया गया था तब इसे सही परीपेक्ष में विधि अनुसार विचारण में लिया जा सकेगा।

[पैरा 4 और 5]

महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक और ए. एन. आर., [1982] 2 एस. सी. सी. 463 और भावनगर विश्वविद्यालय बनाम

पालिताना शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2002) ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4939 पर भरोसा किया।

आपराधिक अपील क्षेत्रधिकार-2002 की आपराधिक अपील सं. 67

(1994 की आपराधिक अपील संख्या 11 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.5.2001 के विरुद्ध)

अपीलार्थी की ओर से अशोक भान, सुनीता शर्मा।

प्रतिवादी के लिए बी. बी. सिंह, किरण भारद्वाज और डी. एस. माहरा।

न्यायालय का निर्णय द्वारा डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश

1.इस अपील में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ पठित धारा 342,365 और 330 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सत्र मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाया गया था और सजा की मात्रा के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।उच्च न्यायालय ने नोट किया कि उसे अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को दोषसिद्धि के प्रश्न पर न्यायालय

को संबोधित करने की आवश्यकता थी, जिसे उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।केवल दण्ड की मात्रा पर जोर दिया गया । उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि दोषसिद्धि के संबंध में दी गई रियायतों को देखते हुए, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सजा को असंगत नहीं माना जा सकता है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ भ्रम प्रतीत होता है क्योंकि जैसा कि दर्ज किया गया, अपीलार्थियों द्वारा दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाने का कभी भी कोई निर्देश नहीं दिया गया था ।वास्तव में, उनके अनुसार, दोषसिद्धि बिना किसी सामग्री और आधार के थी।

3. दूसरी ओर प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार करने के बाद कि दोषसिद्धि सही थी, वर्तमान अपील गलत है।

4. यदि वास्तव में कोई रियायत नहीं थी, तो अपीलार्थीगण के लिए एकमात्र रास्ता खुला था कि उनको महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक और अन्र, [1982] 2 एस. सी. सी. 463 में जो कहा गया है, उसके अनुरूप उच्च न्यायालय का रुख करना था।भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2002) ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4939 मामले में उक्त मामले में यह विचार दोहराया गया कि अदालत के फैसले में दर्ज सुनवाई में जो हुआ, उसके बारे में तथ्य के बयान इस तरह से बताए गए तथ्यों के

निर्णायक हैं और कोई भी शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा ऐसे बयानों का खंडन नहीं कर सकता है।यदि कोई पक्ष यह सोचता है कि न्यायालय की घटनाओं को किसी निर्णय में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो यह पक्षकार का दायित्व है, जबकि मामला न्यायाधीशों के दिमाग में अभी भी ताजा है, उसी न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करना जिसने रिकॉर्ड बनाया है।रिकॉर्ड को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है।यदि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो मामला अनिवार्य रूप से वहीं समाप्त होना चाहिए। अपीलार्थियों के लिए इस न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत बहस करने के लिए अवसर नहीं है।

5. इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उच्च न्यायालय के समक्ष इस दावे के संबंध में कोई क्लेम किया जाता है कि कोई रियायत नहीं दी गई थी, तो उस पर कानून के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा।

6. तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

आर. पी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।